न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

पत्रावली संख्या : 01/2015 रेफरेंस

मूर्ति मंदिर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान वाकै ग्राम नगला धवला पटवार हल्का अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर जरिये भक्तगण खूबीराम पुत्र चिरमोली जाति जाट निवासी नगला धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर व अन्य।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मुरारी
2. डालचन्द
3. सुरेशचंद

पिसरान छाजू जाति बाबाजी निवासी नगला धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

4. गिरधारीलाल
5. रमेशचंद
6. अमरसिह
7. मुकेशचंद
8. सुखराम

पिसरान बिहारी जाति बाबाजी निवासी नगला धवला मजरा अटारीपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत ख0नं0 91 रकबा 2 बीघा 5 विसबा वाकै ग्राम हटारीपुरा तह0 भुसावर जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : 1. श्री तालेराम वकील प्रार्थीगण।
2. श्री लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी वकील अप्रार्थीगण।

निर्णय दिनांक : 13.4.2018

प्रार्थी मूर्ति मंदिर श्री हनुमान जी महाराज जरिये भक्तगण द्वारा यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत खसरा नम्बर 91 रकबा 2 बीघा 5 विस्बा वाकै ग्राम अटारीपुरा तहसील भुसावर पर मूर्ति मंदिर श्री हनुमानजी महाराज में खातेदारी दर्ज किया जावे और गैर सायल संख्या 1 लगायत 8 के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किये जाने की इस्तदुआ जरिये रैफरेंस की गई है। की गई है। प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। नियत दिनांक को उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थीगण नगला धवला मजरा अटारीपर के है इस गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है जिसमें भक्तगण पूराज करते है। आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 2 बीघा 5 विस्बा वाकै ग्राम अटारीपुरा तहसील भुसावर में स्थिति है। यह आराजी मंदिर हनुमान जी महाराज की भूमि है। यह आराजी गैर सायलान द्वारा बिना किसी हुक्म के अपने नाम गैर मौरूसी कराई

और बाद में गैर खातेदार हुये और उसके बाद खातेदारी प्राप्त कर ली जबकि मूर्ति नावालिग होती है और नावालिग की जगह पर किसी को खातेदारी नहीं दी जा सकती है। जो आरटीएक्ट 1955 की धारा 46 में वर्जित है। वास्तव में यह आराजी प्रार्थीगण के बुजगों ने मंदिर के लिये माफी में दी है। मूर्ति मंदिर के नाम यह आराजी 1985 में दर्ज है और जमाबन्दी सम्बत 1995 में भी मूर्ति मंदिर के नाम ही दर्ज है। बिना किसी आधार के गैर सायल इस मंदिर की जमीन पर खातेदार हो गये जो कतई गलत है। गैर सायल के नाम खातेदारी होने की वजह से मूर्ति के हितों पर कुठाराघात हो सकता है और गैर सायल मंदिर पर आने जाने व पूजा करने से रोकत है। प्रार्थीगण गांव के ही भक्तगण है तथा प्रार्थीगणों के बुजुर्गों ने ही इस जमीन को दान किया था इसलिऐ प्रार्थीगण रैफरेंस के अधिकारी है। गैर सायल संख्या 9 भूमिधारी है जिन पर दुरूस्ती कराने की जिम्मेदारी है इसलिऐ इन्हें पक्षकार बनाया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में नजीर आरबीजे (15) 2008 पेज 576–579 एवं आरआरडी अप्रेल 2002 पेज 167 पेश की गई। अन्त में प्रार्थना की है कि रैफरेंस स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 91 रकबा 2 बीघा 5 विस्बा वाकै ग्राम अटारीपुरा तहसील भुसावर पर मूर्ति मंदिर श्री हनुमान जी महाराज में खातेदारी दर्ज किया जावे और गैर सायलान संख्या 1 लगायत 8 के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किये जाने हेतु यह रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र रेफरेंस से इन्कार करते हुए जाहिर किया कि प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रार्थी के द्वारा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। वकील गैर सायलान का कथन है कि नगला धवला मजरा अटारीपुरा तह0 भुसावर में स्थित हनुमान जी मंदिर की पूरा प्रार्थीगण द्वारा नहीं की जाती और न ही इनका इस आराजी से कोई सरोकार है। विवादित आराजी ख0नं0 91 रकबा 2 बीघा 5 विस्बा का मूर्ति हनुमान जी महाराज से कोई सम्बन्ध नहीं है वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 91 रकबा 2 बीघा 5 विस्बा गैर सायलान के पूर्वजों क्रमशः छाजूराम, बिहारी पुत्र पन्ना जाति पुजारी निवासी अटारीपुरा की व्यक्तिगत खातेदारी का रकबा रहा है और अब वर्तमान में विरासतन श्री छाजूराम व बिहारी के वंशज ही इस आराजी पर वहैसियत खातेदार मौके पर काबिज है। इस आराजी पर गैर सायलान के पूर्वजों के थान व स्मारक भी मौके पर बने हुये है। यह थान व स्मारक 01 बीघा 15 विस्बा आराजी में है तथा शेष रकबे पर गैर सायलान द्वारा मौके पर काश्त की जा रही है। यह आराजी मंदिर के नाम न तो कभी थी और न अब है। आरटीएक्ट 1955 की धारा 46 का इस प्रकरण में कोई उल्लघन नहीं हुआ है क्यों कि इस आराजी का मंदिर मूर्ति से जब कोई सरोकार ही नहीं है तो फिर धारा 46 के उल्लघंन किस प्रकार हो सकता है ? ऐसी स्थिति में गैर सायलान के हक में आये विरासतन खातेदारी अधिकारों को यूं रैफरेंस के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता। नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर सायलान के नामों इन्द्राजात को नहीं हटाया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा गलत एवं आधारहीन तथ्यों पर यह रैफरेंस पेश किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण मंदिर की आड में गैर सायलान के हकहकूकों पर गलत नियत रखते है एवं गैर सायलान को विरासत में प्राप्त खातेदारी की आराजी को हडपना चाहते है। वास्तव में यह रैफरेंस नितान्त झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो काबिले मंसूखी है। इसके अलावा कुछ अप्रार्थीगणों के द्वारा मंदिर मूर्ति के नाम से उपखण्डाधिकारी भुसावर के यहां दावा संख्या 101/15 भी दायर किया जो दिनांक 29.9.2015 को खारिज हो गया जिसकी अपील संख्या 22/2015 आर0ए0ए0 भरतपुर के यहां की गई जो आज

भी विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी 20.6.2017 नियत है ऐसी स्थिति में प्राईवेट पार्टी के मध्य उत्पन्न हुये विवाद के सम्बन्ध में कानूनी रूप से यह रैफरेंस कार्यवाही मेन्टेबिल नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में वकील अप्रार्थी द्वारा नजीर आरआरटी 2017 (1) पेज 660–664 एवं आरआरटी 2015 (2) पेज 1130–1147 पेश की गई अन्तम में वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि यह रैफरेंस दुर्भावनावश किया गया है बिना किसी आधार के कानून के विपरीत है इसलिऐ प्रस्तुत रेफरेंस खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्षकारान की बहस तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मन अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित आराजी को मंदिर माफी की आराजी मानते हुये यह कहते हुये आये है कि गैर सायलान के द्वारा राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से अपने आपको गैर मौरूसी उसके बाद गैर खातेदार एवं गैर खातेदार के बाद खातेदार दर्ज करा लिया है जबकि गैर सायलान का यह कहना है कि यह आराजी उनके बुजुर्गों की है और उनके हक में जरिये विरासतन प्राप्त हुई है। संलग्न जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 का अवलोकन किया गया जिसमें अप्रार्थीगण का नाम वहैसियत विरासतन दर्ज हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि रैफरेंस किसी निर्णय, आदेश, कार्यवाही (any case or proceedings decided by or pending before any Revenue Court subordinate to the Collector) के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि इस प्रकरण में किसी भी निर्णय, आदेश, कार्यवाही को निरस्त कराने का अनुरोध नहीं किया गया है अपितु राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान जमाबन्दी की इन्द्राजों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। हमारी विनम्र राय में राजस्व अभिलेख में इन्द्राज स्वतः नहीं होते है और राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर अंकन प्रवृष्ठी की जाती है और जब तक उस आदेश को निरस्त नहीं करवाया जावे तब तक राजस्व अंकनों को रैफरेंस के माध्यम से समाप्त किया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। दौराने बहस अदालत हाजा के समक्ष यह तथ्य भी सामने आया है कि कुछ प्रार्थीगणों के द्वारा उपखण्डाधिकारी भुसावर के यहां दावा संख्या 101/15 भी दायर किया जो दिनांक 29.9.2015 को खारिज हो गया जिसकी अपील संख्या 22/2015 आर0ए0ए0 भरतपुर के यहां दायर की गई जो आज भी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में गैर सायलान के नाम वर्तमान इन्द्राजों को रैफरेंस के माध्यम से निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता है। यह रैफरेंस संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य ही है।

अतः आज्ञा है कि रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण उपरोक्त विवेचानुसार संधारण योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भुसावर को प्रेषित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील और तामील दाखिल दफ्तर हो। आज्ञा दी गयी।

निर्णय आज दिनांक 13.4.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर